बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–33 / 2022–......... / पटना–15, दिनांक–.......................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–557(6), दिनांक–01.07.2022 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में अनीस एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, काजी नगर, खलील पूरा, फुलवारी शरीफ, पटना–801505 द्वारा प्रस्तावित चम्पारण नर्सिंग कॉलेज, ग्राम–कटहरी, पोस्ट+थाना–साठी, प्रखंड–नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण–845449 को जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–1487(6), दिनांक–16.12.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 अशोक कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त चम्पारण नर्सिंग कॉलेज, ग्राम–कटहरी, पोस्ट+थाना–साठी, प्रखंड–नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण–845449 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमश

ज्ञापांक : 6/एन0–08–33/2022 1039(6)   पटना दिनांक - 04/07/2023

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, अनीस एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, काजी नगर, खलील पूरा, फुलवारी शरीफ, पटना–801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/7/23

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांकः सं0सं0–89 / बी0एन0आर0सी0 / 2024 / .... स्वा0 ,पटना, दिनांक ....

अनीस एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, काजी नगर, खलील पुरा, फुलवारीशरीफ, पटना–801505 के द्वारा संचालित **चम्पारण नर्सिंग कॉलेज, ग्राम– कटहरी, पोस्ट– साठी, थाना– साठी, प्रखंड– नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण–845449** के अन्तर्गत **जी0एन0एम0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27** के लिए अवधि विस्तार के लिए **विभागीय आदेश ज्ञापांक–2715 / बी0एन0आर0सी0, दिनांक 24.07.2024** के द्वारा **डॉ0 ऋषिकान्त पाण्डेय, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर **जी0एन0एम0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27** हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2– सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3– संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability Report हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चत करेगें।

4– प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह / 0–
निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–सं0सं0–89 / बी0एन0आर0सी0 / 2024 / 3257 स्वा0,पटना, दिनांक 31-08-24

प्रतिलिपि :– सचिव, **चम्पारण नर्सिंग कॉलेज, ग्राम– कटहरी, पोस्ट– साठी, थाना– साठी, प्रखंड– नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण–845449** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कुलसचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, स्वा0विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/24

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक 13/02/2024

अ०सं०: संब०–6032(पार्ट–I)/2023– 131 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**09.02.2024** को गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	A H S Nursing College	Samastipur	ANM	60
			GNM	60
2	Baidyanath Institute of Nursing & Paramedical Sciences	Jamui	ANM	60
			GNM	60
3	Baba Kedarnath Nursing College (ANM)	Buxar	ANM	60
4	Bhavya Shree Institute of Nursing	Patna	ANM	60
			GNM	60
5	Champaran Nursing College	West Champaran	GNM	60
6	Humanity Care Nursing & Paramedical College	Muzaffarpur	ANM	60
7	Jandaha Nursing Training College	Vaishali	GNM	60
8	Kailash Sushil Nursing Institute	Purnea	ANM	60
			GNM	60
9	Lav Kush Paramedical & Nursing Training Sansthan	Rohtas	ANM	60
10	Panacea Medical Education Institute	Samastipur	ANM	100
			GNM	60
11	R.B.S.R.D.R. College	Vaishali	GNM	60
12	Raghunandan Sinha TT College ANM Nursing	Jahanabad	ANM	60
13	Rahmania Institute of Nursing & Paramedical Sciences	East Champaran	GNM	60
14	S.K.M. College of Nursing & Paramedical	Banka	ANM	60
			GNM	60
15	Seemanchal Degree College	Araria	ANM	60
			GNM	60
16	Trisha Nursing Institute	Patna	ANM	60
			GNM	60
17	National Institute of Nursing and Paramedical Science	Nalanda	ANM	100

<u>नियम एवं शर्त्तेः–</u>

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा–8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तो के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।

4. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
7. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
8. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
9. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
10. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
11. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
12. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
13. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.कु.झा 13/2/2024

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0–6032(पार्ट–I)/2023– 131 **/पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 13/2/2024

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0—6032(पार्ट—I) / 2023— 131 **/पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि—प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 13/2/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0—6032(पार्ट—I) / 2023— 131 **/ पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि—डीन(अकादमिक) / डीन(आयुष) / डीन(परीक्षा) / डीन(नर्सिंग) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 13/2/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
PATNA
ESTD 2022
॥ स्वास्थ्य सर्वार्थसाधनम् ॥